POSTAL REG.NO. RJ/JPC/M-28/2009-11 (RNI. REG. NO. 39658/83) # ग्रा.ग./2011/अंक 04 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, सी.एस.ओ., आएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अप्रेल, 2011 मूल्य 50 पैसे

उपभोक्ताओं की बेहतर वित्तीय सेवाओं तक पहुंच अभी भी एक सपना

हमारे देश में हर साल करीब एक करोड़ 50 लाख नये उपभोक्ता विभिन्न वित्तीय सेवाओं से जुड़ते हैं। लेकिन अभी भी वित्तीय सेवाओं तक उपभोक्ताओं की बेहतर पहुंच और सामर्थ की कमी है।

उक्त विचार 'कट्स' द्वारा 16 मार्च को 'ग्रेनिर्का' परियोजना के तहत जयपुर में आयोजित 'उपभोक्ताओं के लिए उचित वित्तीय सेवाएं' विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर सर्किल के जनरल मेनेजर एस.एन.पाण्डा ने मुख्य वक्ता के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने रिजर्व बैंक द्वारा उपभोक्ताओं को बैंकिग क्षेत्र से जुड़ी शिक्षा प्रदान करने की पहल की जानकारी देते हुए कहा कि वित्तीय क्षेत्र से जुड़े उपभोक्ताओं को सही सेवाएं और सुविधाएं मिलनी चाहिए।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में कट्स के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि आज बैंक एक दूसरे पर इतने आश्रित हो गए है कि यदि किसी दूसरे देश में बैंकिग संकट आता है तो उसका असर पूरे विश्व में देखने को मिलता है।

कार्यशाला में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय जयपुर की उप मुख्य प्रबन्धक श्रीमती के. सुन्दरी ने बताया कि बैंकिंग लोकपाल के जरिए उपभोक्ता बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का निवारण करा सकते हैं। इस अवसर पर राजस्थान उपभोक्ता आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस विनोद शंकर दवे ने कानूनी क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभवों को भागीदारों के सामने रखा।

बैंकिंग लोकपाल कार्यालय जयपुर के सहायक महाप्रबन्धक एस.एन.सेनापति ने सेबी, आईआरडीए व रिजर्व बैंक जैसे विनियामक संस्थाओं द्वारा वित्तीय सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं को दिए जा रहे योगदान की जानकारी दी। कार्यक्रम में केन्द्र व राज्य के नीति निर्माताओं, मीडिया, परियोजना भागीदारों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राज्य विधान सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2011-12 का बजट रखा।

बजट में खासतौर से बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दिया गया है। बढ़ती महंगाई से आम जन को राहत देने के मकसद से खाद्य पदार्थों, रसोई में काम आने वाली तथा आम उपयोग की कुछ खास वस्तुओं पर से टैक्स भी हटाया गया है।

कृषि विकास के लिए 'कृषि प्रतिस्पर्धा योजना' लागू करने की घोषणा बजट में है। बजट में कई घोषणाएं और भी हैं, जो ग्रामीण विकास और गरीबों को राहत देने वाली हैं। लेकिन बिजली पर लगाया गया उपकर और पैट्रोल-डीजल पर वैट कम नहीं करना आम लोगों को अखर रहा है।

केन्द्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने भी लोक सभा में आम बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने बजट में गरीबों को नकद सब्सिडी, बुजुर्गों को राहत, खाद्य सुरक्षा के तहत गरीबों को सस्ता अनाज, सबके लिए शिक्षा एवं ग्रामीण विकास पर ज्यादा बल दिया है। लेकिन बढ़ती महंगाई से राहत देने के बजाय कई सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाकर मध्यम वर्ग को आहत किया है।

सरकारी बजट 'आंकडों का जाल' होता है और आम ग्रामीण सही रूप में उसे समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता है, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर नजर रख सके और लाभान्वित हो सके।

कानूनी जानकारी

बिना वकील, बिना खर्च पाएं न्याय

आम आदमी को शीघ्र निःशुल्क और सरलता से न्याय दिलाने के मकसद से राज्य के जिला स्तर और तहसील स्तर पर लोक अदालतें संचालित हैं। इनमें दीवानी और फौजदारी मुकदमों का निपटारा होता है। इन अदालतों द्वारा जन हित के मामलों पर भी आदेश जारी किए जा सकते हैं।

- इन अदालतों का संचालन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इनमें मामला ले जाने के लिए वकील की आवश्यकता नहीं होती न ही किसी तरह की कोर्ट फीस लगती है।
- लोक अदालत में पीड़ित व्यक्ति द्वारा वाद प्रस्तुत करना काफी सरल है। परिवाद का पंजीयन हो जाने के बाद अदालत दूसरे पक्षों को नोटिस जारी कर बुलाती है। दोनों पक्षों के द्वारा लिखित में कथन प्रस्तुत किए जाते हैं। आवश्यक प्रलेख भी मंगाए जाते हैं।
- इन अदालतों में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को खासतौर से आपसी बातचीत, समझौते और राजीनामे से निस्तारित किया जाता है। अदालत की खर्चीली और लम्बी प्रक्रिया से बचने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को सर्वोपरि माना जाता है।
- किसी पक्ष को सजा नहीं होती, क्योंकि मामला सुलह से निपटाया जाता है। लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।

उपभोक्ता फैसले

रेलवे ने लिखा महिला को पुरुष, अब देगा हर्जाना

जेतू कवंर ने उपभोक्ता मंच,जोधपुर में रेलवे के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उसने जोधपुर से हरिद्वार की यात्रा के लिए आरक्षण करवाया था। रिजर्वेशन फॉर्म में उनके द्वारा महिला लिखने के बावजूद आरक्षण खिड़की पर रेलवे कर्मचारी ने आरक्षित टिकट में पुरुष लिख दिया। यात्रा के दौरान सही स्थिति बताने के बावजूद टीटीई ने उनसे जुर्माना वसूल लिया।

मंच ने सुनवाई पर पाया कि महिला द्वारा भरे गए फार्म में उनके नाम के आगे महिला लिखा गया था। टीटीई को नाम पर भी गौर करना चाहिए था। मंच ने रेलवे को दोषी माना और जेतू कवंर के पक्ष में फैसला दिया। फैसले में मंच ने रेलवे को आदेश दिए कि वह 25 हजार रुपए बतौर हर्जाना और 3 हजार रुपए परिवाद व्यय के रूप में जेतू कवंर को अदा करे।

रेलवे ने मंच के फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग की जोधपुर सर्किट बैंच में अपील दर्ज कराई। राज्य आयोग ने सभी तथ्यों पर गौर करते हुए अपील को खारिज कर दिया और जिला मंच के फैसले को सही ठहराया। अब रेलवे को मंच के निर्णयानुसार 28 हजार रुपए बतौर हर्जाने व परिवाद व्यय के अदा करने होंगे।

सस्ती हुई गरीब की दाल-रोटी

राज्य के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चावल, गेहूं, दालों, फल-सब्जियों व राशन के केरोसिन पर टैक्स में राहत दी है। इससे गरीब की दाल रोटी सस्ती हो गई है। राशन के गेहूं, चावल और केरोसिन को कर मुक्त करने से एपीएल के गेहूं और चावल क्रमशः 30 और 50 पैसे प्रति किलो तथा केरोसिन 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। इसी तरह एपीएल विशेष तदर्थ टीडीपीएस को मिलने वाले गेहूं, चावल और केरोसिन भी सस्ते भाव पर मिलेंगे।

खाद्य मंत्री बाबूलाल नागर ने बताया कि बजट पेश होने के बाद संशोधित दरों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवारों को हर माह 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 25 किलो गेहूं मिलेगा।

प्रदेश भर में मिलेगा फोर्टिफाइड आटा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जनहित एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश में सभी जगह लोगों को फोर्टिफाइड आटा उपलब्ध कराया जा रहा है। आटे में पोषण के लिए अलग से फोलिक एसिड़ व अन्य विटामिन मिलाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि कोटा को छोड़कर सभी सांभागीय मुख्यालयों पर आटे का वितरण शुरू किया जा चुका है। कोटा में भी निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही वितरण शुरू हो जाएगा। आटे की गुणवत्ता बेहतर रहे इसके लिए निजी प्रयोगशालाओं में भी इसकी जांच कराई जा सकती है।

गरीबों के लिए 10 लाख मकान

बजट में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना' की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत इंदिरा आवास योजना को मिलाकर अगले तीन साल में करीब 10 लाख गरीब परिवारों को सस्ते, लगभग मुफ्त में घर उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस योजना पर 3400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लाभार्थियों को केवल श्रम का भुगतान करना होगा या अपने श्रम पर मकान का निर्माण करना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के ऋण के लिए हुड़को से बात हो गई है।

बढ़ा साथिनों व आशाओं का मानदेय

बजट बहस के जवाब में मुख्यमंत्री ने जहां नरेगा में अनुबन्धित रोजगार सहायकों व अन्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर लाभान्वित किया है वहीं साथिनों और आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 250 रुपए के बजाय 500 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की है।

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिकतम साख सीमा 50 और 60 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए होगी। अगले साल से एक हजार गाडिया लुहार परिवारों को कच्चा माल खरीदने के लिए 2500 रुपए का सालाना अनुदान मिलेगा।

स्वास्थ्य का पलड़ा-नब्ज पर हाथ

आम जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने बजट में बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान मसाला और गुटखा उत्पादों पर टैक्स दोगुना कर दिया है। स्वास्थ्य के पलड़े पर अब ज्यादा धन खर्च किया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में हर वर्ग के लोगों को 2 अक्टूबर से जरूरी दवाइयां मुफ्त मिलेंगी।

विशेष बीमारी पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से 60 हजार रुपए सालाना आय वालों को भी लाभ मिलेगा।

ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। सामुदायिक केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद सृजित होंगे। एक या दो बच्चियों के बाद नसबन्दी कराने वाली महिलाओं के लिए ज्योति योजना लागू की जाएगी।

बजट बहस के जवाब में की नई घोषणाएं

राज्य विधान सभा में हुई बजट पर बहस के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम लोगों के हित में कई घोषणाएं और की है। अब आटा, फोर्टिफाइड आटा, चोकर, मैदा, सूजी और धान समेत कई वस्तुओं को भी वैट मुक्त कर दिया गया है।

इसके अलावा कई हस्तनिर्मित वस्तुओं जैसे हैण्डमेड पेपर, गलीचे, रुई के गद्दे तकिए, छाजला बाल्टी पर से टैक्स हटा कर लघु एवं ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहित किया है।

बुजुर्गों को मिलेगी खास राहत

केन्द्र सरकार ने 60 साल के नागरिक को वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में माना है, इससे 60 साल के नागरिक की आयकर छूट सीमा अब 2 लाख 50 हजार रुपए हो गई है। पहले 65 साल की उम्र होने पर वरिष्ठ नागरिक माना जाता था। अब 60 साल से अधिक आयु के नागरिक को वरिष्ठ नागरिक की सभी अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

राज्य सरकार ने भी अपने बजट में 60 साल से अधिक आयु के नागरिकों को रोडवेज बसों के किराए में 30 फीसदी की रियायत दी है।

विधवा व परित्यक्ता महिलाओं की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सम्बल योजना लागू की गई है। ऐसी महिलाओं को निःशुल्क बीएसटीसी एवं बीएड प्रशिक्षण मिलेगा।

पंचायती राज संस्थाएं होंगी सशक्त

राजस्थान में पंचायतों को पांच विभाग देने के बाद अब बजट में जिला परिषद् व पंचायत समितियों में 854 भर्तियों का प्रावधान होने से पंचायती राज संस्थाओं को स्टाफ मिल जाएगा।

इन संस्थाओं को 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 575 करोड़ 84 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार 1491 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करेगी। इससे गांवों का तेजी से विकास हो सकेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पूरे प्रदेश में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।

ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई भर्तियों व छात्रवृत्ति के अलावा और भी कई योजनाएं बजट में हैं। ग्रामीण छात्राओं के लिए साइकिल योजना अब कक्षा 9 से लागू की गई है। महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए 45 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अनेक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं।

आपकी चिट्ठी मिली

देश में चारों ओर भ्रष्टाचार, अपराध, अश्लीलता और धोखेबाजी का साम्राज्य फैलता जा रहा है। अच्छे आचरण, ईमानदारी, संवेदनशीलता और परोपकार की भावना लोगों में समाप्त होती जा रही है। यह समाज और राष्ट्र के लिए घातक है।

जनता द्वारा विश्वास कर चुने गए कई जनप्रतिनिधि भी अपने धर्म से विमुख होकर स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। इनके संरक्षण में कई अपराधी और भ्रष्टाचारी पलते और पनपते हैं।

सरकार भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए कानून बनाती है, जैसे 'सूचना का अधिकार अधिनियम' लेकिन क्रियान्वयन और उनकी पालना सही रूप में नहीं होती। अच्छा तो यह होगा कि सरकार भ्रष्टाचारी और दुराचारी लोगों की सम्पत्ति को जब्त कर, उनके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करे।

- गोपाल कृष्ण शर्मा, बांसवाड़ा

राज्य के बजट में मुख्यमंत्री ने गरीबों को राहत देने, ग्रामीण विकास व पंचायतों को सशक्त करने जैसी कई घोषणाएं की हैं। गांव वालों ने बजट को अच्छा बताया है।

बजट में जहां बीपीएल परिवारों के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं, वहीं किसानों के लिए अल्पकालीन ऋण सुविधा और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में नई भर्तियों की लुभावनी बात भी बजट में है।

घोषणाएं करना सरल है पर उन्हें पूरा करना मुश्किल होता है। पिछले साल की कई घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ है और वे कागजों में ही सिमट कर रह गई हैं। कई ऐसे बीपीएल परिवार है जिनका नाम गरीबों की सूची में नहीं हैं।

- नरपतसिंह, हिम्मतसर, बीकानेर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर